प्रेस विज्ञप्ति
9/6/2026

<u>जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फेमा उल्लंघन के संबंध में आरबीआई द्वारा कंपाउंडिंग आदेश जारी</u>

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में चल रही जांच, जिनके लिए कंपाउंडिंग आदेश पारित किया गया है, समाप्त हो गई है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' के उपरांत आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस प्रकरण में प्राप्त विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा के निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत जांच की गई, जिनका बाद में कंपाउंडिंग किया गया:

- फेमा 20 की अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(A) के अंतर्गत इक्विटी लिखतों की सदस्यता के लिए प्राप्त विदेशी अंतर्वाह प्रेषण की रिपोर्टिंग में विलंब, जिसमें कुल ₹10,00,00,010/- की राशि सम्मिलित थी।

उक्त उल्लंघन के संबंध में कंपनी द्वारा बाद में अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार आरबीआई के समक्ष कंपाउंडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरबीआई द्वारा संदर्भित किए जाने पर, प्रवर्तन निदेशालय ने अधिनियम की भावना के अनुरूप उक्त उल्लंघन के कंपाउंडिंग पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11.12.2025 को पारित कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से ₹26,750/- (रुपये छब्बीस हजार सात सौ पचास मात्र) की एकमुश्त राशि के भुगतान पर उक्त उल्लंघन का कंपाउंडिंग कर दिया।

इसके फलस्वरूप, उक्त उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही आगे की जांच समाप्त हो गई है।